

To,

The Deputy Accountant General  
Fund-74 Section  
Office of A.G.(A&E)-2 U.P.  
Allahabad.

Ref No

3

No 11044 i/v 2776 / Admin(A-1) Dated 30-7-99 Allahabad.

Subject: Allotment of G.P. Fund number to Sir Arun Kumar  
Saxena, H.J.S, Addl District and Sessions Judge Fatehpur.

Sir,

I am directed to send here with a letter dt 15.5.99  
along with G.P. Fund nomination form <sup>on</sup> No 472 and 472B dated 15.5.99  
Addl District Judge Fatehpur duly forwarded by the  
District Judge Fatehpur. ~~So A.K. Saxena has furnished~~  
~~in favour of Sir A.K. Saxena aforesaid.~~  
~~form no 472 and 472B for allotment of G.P. Fund number.~~

I therefore request you kindly to allot G.P. Fund  
number to Sir A.K. Saxena under intimation to this Court  
as well as the District Judge Fatehpur and the officers  
concerned at an early date.

D.R.(M)

May issue  
Qutubkhan  
22/7/99

Enclo  
As Above

R.A. (Anil)  
22/7/99

No 11045 i/v 2776 / Admin(A-1) Dated 30-7-99 Allahabad.


yes

Forw'd  
DR(M)  
23/7/99

copy forwarded for information to :

- (i) The District Judge Fatehpur with reference to his end no 434/20H/51<sup>99</sup>
- (ii) Sir Arun Kumar Saxena Addl District & Sessions Judge,  
Fatehpur.

Yours faithfully

  
23/7/99  
Deputy Registrar

  
DR(M)  
23/7/99  
Deputy Registrar.

Registered

4/24/99

Ref. No. 10

Reg. No. ....  
File No. ....  
Serial No. ....

8223

8276

2

31

31.5.99

3/5/99

From,

A.K. Saxena, H.J.S.  
Addl. District & Sessions Judge,  
Fatehpur.

2012

To,

The Registrar,  
Hon'ble High Court of Judicature at  
Allahabad.

Through:

The District Judge,  
Fatehpur.

No. 439/IT

Dated Fatehpur Day 15, 1999.

Subject:- Submission of Form for allotment of G.P.F. Number.

Sir,

(3508)  
S.O. Admin H/A-1  
Copy to Mr.  
P.R.S.M  
I have the honour to enclose herewith the  
G.P.F. Form duly filled by me in duplicate, for allotment  
of G.P.F. number, for perusal and issuance of necessary  
directions.

22-5-99

Thanking you in anticipation.

With regards,

(14) Yours faithfully,

A.K. Saxena  
(A.K. Saxena)  
Addl. District & Sessions Judge,  
Fatehpur.  
15.5.1999.

JRCM

Encl: G.P.F. Form in duplicate.

22 MAY 1999

FATEHPUR.  
JUNIOR DISTRICT JUDGE  
(RACHUDEV PRASAD)  
DISTRICT JUDGE,  
FATEHPUR.  
**DISTRICT JUDGE**  
**FATEHPUR**

7/6

दिल्ली (लौहागार) प्रवन संख्या---472

Ref X  
(1)

1 )

## उन अभिदाताओं के प्रयोगार्थ जिनके परिवार हों

(प्रवन का मुख पर्च)

इस प्राव्र के भर्ते से पूर्व कपड़ा इसके दूसरी  
धौर छाए हुए अनुदान सावधानी से पढ़ लिए जाएं

भविष्य निधि लेखा संख्या-----

भविष्य निधि नामन (Provident Fund Nomination)

मेरे परिवार के अनुसार मेरे परिवार का/के सदस्य हैं/हैं निधि में मेरे नाम जमा धनराशि को उस दशा में निम्नलिखित रूप में प्राप्त करने के लिए नामित करता/करती हूँ जब उस धनराशि के देव होने से पूर्व मेरी मृत्यु हो जाय या देव होने पर जिसका भुगतान मृत्यु न हुआ हो और मेरी मृत्यु हो जाव :---

नामित व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम और पता	अभिदाता से सम्बन्ध	नामित व्यक्ति की जाय	प्रत्येक नामित व्यक्ति को देव अंश (शेयर)	उक्तीसमझाएँ, जिनके होने पर नामन अवधेह हो जायगा	यदि अभिदाता की मृत्यु ते पूर्व नामित व्यक्ति की मृत्यु हो जाय, तो उस व्यक्ति/उन व्यक्तियों का/के नाम, पता/पते और सम्बन्ध, यदि कोई हो जिसे/जिन्हें नामित व्यक्ति के आधिकार प्राप्त हो जाएगे
SMT. NEERA SARENA	WIFE	NIL	ENTIRE	NIL	— NIL —

दिनांक 15 मार्च 1999

हस्ताक्षर के दो साक्षी :

नाम पता हस्ताक्षर

1. राजेश

राजेश VADJ fatehpur

राजेश

2. Anil Kumar Gupta

Anil Kumar Gupta 1 m.c.t.n. Raipur M.C.T.N.

Anil Kumar Gupta  
अभिदाता के हस्ताक्षर

Ref. No.

( 2 )

(प्रपत्र के दूसरी ओर का भाग)

कार्यालयाध्यक्ष/महालेखाकार के कार्यालय के प्रयोग के लिए स्थान  
का नामन

पदनाम-----  
के  
नामन की प्राप्ति का दिनांक-----

हस्ताक्षर-----

कार्यालयाध्यक्ष/लेखाधिकारी  
(पदनाम)

दिनांक-----

अभिदाता के लिए अनुदेश---

(क) आपका (अभिदाता का) नाम पूरा फ़रा जाय ।

(ख) भविष्य निवाहि निधि का पूरा नाम सही-सही लिखा जाय ।

(ग) शब्द 'परिवार' की परिभाषा, जैसी कि भविष्य निधि नियमावली में दी गई है, से उद्धरत की जाती है :---

'परिवार' का तात्पर्य निम्नलिखित से होगा :---

(एक) पूर्ण अभिदाता की सामले में, अभिदाता की स्त्री अथवा पत्नियां तथा बच्चे एवं अभिदाता के मत पत्र की विधवा अथवा विधवाएं तथा बच्चे; किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि अभिदाता यह स्थिर कर देता है कि उसकी पत्नी का उससे न्यायिक पर्याप्त्य (Judicial separation) हो चका है अथवा वह जिस समय की है उसकी रूढिगत विधि के अधीन भरण-पोषण की अधिकारिणी नहीं रह गई है, तो वह एतदपश्चात् इन नियमों से सम्बन्धित मामलों में अभिदाता के परिवार की सदस्यता न मानी जावेगी, जब तक कि अभिदाता बाद में कार्यालयाध्यक्ष/लेखाधिकारी को लिखित रूप में राज्ञ अधिसूचना (Express notification) द्वारा यह न सूचित नहीं कि उसे ऐसा माना जाता रहेगा ।

(दो) किसी महिला अभिदात्री के मामले में, अभिदात्री का पति तथा दच्चे और अभिदात्री के मत पत्र की विधवा अथवा विधवाएं तथा बच्चे; किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि अभिदात्री लिखित अधिसूचना द्वारा कार्यालयाध्यक्ष/लेखाधिकारी से अपने पति को अपने परिवार में सम्मिलित न किए जाने की इच्छा व्यक्त कर देती तो पति को एतदपश्चात् इन नियमों ने सम्बन्धित मामलों में अभिदात्री के परिवार का सदस्य न माना जायगा जब तक कि अभिदात्री बाद में उसे सम्मिलित न किए जाने की अपनी अधिसूचना को आपाचारिक रूप से लिख कर रद्द न कर दे ।

टिप्पणी---(1) 'बच्चों' का तात्पर्य वैध बच्चों से है ।

(2) कोई दत्तक बच्चा तभी बच्चा माना जायगा जब लेखाधिकारी अथवा, यदि लेखाधिकारी के मत में कोई सन्देह उत्पन्न हो जाता है तो सरकार के विधिपरामर्शी को इस बात का समाधान हो जाय कि अभिदाता की वैयक्तिक विधि (Personal Law) के अधीन दत्तक ग्रहण को 'जारज बच्चे' (ural child) की प्राप्तिता (Status) प्रदानकरण के लिए विधिक राय से मान्यताप्राप्त है, किन्तु केवल इसी मामले में ।

(घ) यदि केवल एक व्यक्ति ही नामित किया गया हो तो नामित व्यक्ति के सामने शब्द 'पूरा अंश' लिखा जाय । यदि एक से अधिक व्यक्ति नामित किए जाते हैं तो प्रत्येक नामित व्यक्ति को देय अंश जिसमें भविष्य निधि की सम्पूर्ण धनराशि आ जाय, निर्दिष्ट किया जाय ।

(इ) स्तम्भ 5-इस स्तम्भ में आकृत्यक्ता के रूप में नामित व्यक्ति (व्यक्तियों) की मृत्यु का उल्लेख न किया जाय ।

(च) स्तम्भ 6-इस स्तम्भ में अबने नाम का उल्लेख न किया जाव ।

(छ) अन्तिम प्रविष्टि के नीचे के खाली स्थान के आर-पार लकीर लींच दी जाय, जिससे कि आपके हस्ताक्षर करने के बाद कोई नाम बढ़ाया न जा सके ।

ट्रैजरी (कोणारक) प्रपत्र संख्या 472-बी

Ref No

## सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) को स्वीकार करने का प्रार्थना - पत्र

प्रार्थी का पूरा नाम सरकारी कार्यालय, जिससे संदर्भ, जिसमें का प्रार्थी स्थायी, क्या स्थायी पद, प्रार्थी का प्रतिमास परिवर्तन-क्रम लाभिकारी/ अभिदान निधि का अभिनिधि का नाम बड़े अक्षरों में, पदनाम सम्बद्ध हो, यदि प्रति-नियुक्ति पर करता हो पर्ननियुक्ति है? स्थायी है पेंशन दर (सा० भ० की दर दाता है, तो उस आहरण अधिकारी द्वारा प्रविष्टि की अभिवित विभाग/सरकार का भी उल्लेख कीजिए हो, तो मूल वाला है या निधि निरामा-वली का नियम 11)

प्रार्थी का अस्थायी अथवा पर्ननियुक्ति हो वाला है या विना पेंशन का होने का दिनांक है विना पेंशन का नियम 11)

\*लेखा-संख्या, जिसकी लेखाधिकारी/ अभिदान निधि का अभिनिधि का नाम आहरण अधिकारी द्वारा प्रविष्टि की अभिवित जायगी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

ARUNKUMAR ADDL. HIGH HJS  
SAYENA DIST. COURT PERMANENT  
29.09.1956 JUDGE

16,40/-  
to - 10% NIL  
PENSION 20,40/-

Sh. KAUSHAL KUMAR

DISTRICT JUDGE  
PATNA  
17.5.59

विहित प्रपत्र में यथाविधि भरे हुए नामक का एक प्रपत्र संलग्न है।  
प्रार्थी का हस्ताक्षर ADDL. DIST. JUDGE  
पदनाम  
दिनांक 15.5.99

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर और पदनाम  
आहरण अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम